

**अनुदान संख्या 70 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**  
**GRANT No. 70 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5701,00,00		
		5701,02,00	2931,87,41	- 2769,14,59
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2435,75,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	52,00,00		
		170,00,00	149,96,19	-20,03,81
पूरक	Supplementary	118,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	4650.00		
		4544.00	3420.56	-1123.44
पु.	R.	-106.00		

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	56500.00	11534.75	..	-11534.75
पु.	R.	-44965.25			
मुख्य शीर्ष "2810"	Major Head "2810"				
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	New and Renewable Energy				
मू.	O.	508950.00	310448.25	289766.85	-20681.40
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-198503.75			

(I) ₹56500.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹56300.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा - ग्रिड इंटरैक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹18500.00 लाख - लघु जल विद्युत स्कीमों में निरंतरता न होने की वजह से नई परियोजनाओं की मंजूरी न होने, कोविड-19 महामारी की वजह से ग्रिड कनेक्टेड रूफटोप सोलर प्रोग्राम के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित के जाने के कारण थे।

(खा) "ऑफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत" - ₹37800.00 लाख कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, पीएम-कुसुम घटक-ख के अंतर्गत स्टैंडअलोन सोलर पम्पों के इंस्टालेशन न होने, कोविड-19 महामारी की वजह से सोलर स्ट्रीट लाइटों के इंस्टालेशन के लिए पूर्ण दस्तावेजों की प्रस्तुति न होने, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के

(I) Provision of ₹56500.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹56300.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "New and Renewable Energy-Grid Interactive and Distributed Renewable Power"- under the following heads:-

(A) "Grid Interactive Renewable Power" - ₹18500.00 lakhs - due to non-sanctioning of new projects owing to non-continuation of small Hydro Power schemes, non-receipt of proposals for Grid Connected Rooftop Solar Programme owing to COVID-19 pandemic and re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power" - ₹37800.00 lakhs - due to receipt of less proposals, non- installation of standalone solar pumps under PM-KUSUM Component-B, non-submission of completion documents for installation of solar street lights owing to COVID-19 pandemic

लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय” – ₹1229.44 लाख की बचत (₹4650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कोविड-19 महामारी की वजह से छुट्टी यात्रा रियायत, लघु कार्यों, अन्य स्थापना संबंधित खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2810” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “ग्रिड इन्टरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा”-

(क) “ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत” – ₹126322.17 लाख की बचत (₹333600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को 5 महीने आगे बढ़ाए जाने, परियोजनाओं के शुरू किए जाने में विलंब होने, निष्पादन निरीक्षण के पूरा न होने, लघु जल विद्युत स्कीम के बंद होने की वजह से नई परियोजना की मंजूरी न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “ऑफ ग्रिड / वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत” – ₹37794.02 लाख की बचत (₹68620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु जल विद्युत स्कीम के बंद होने की वजह से नई परियोजना की मंजूरी न होने, परियोजनाओं की शुरुआत में विलंब होने, निष्पादन निरीक्षण के पूरा न होने, राज्यों द्वारा रिपोर्ट / उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति न किए जाने, स्टैंडअलोन सोलर पम्प

and re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of New and Renewable Energy” - saving of ₹1229.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4650.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards leave travel concession, minor works, other establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2810” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grid Interactive and Distributed Renewable Power” -

(a) “Grid Interactive Renewable Power” - saving of ₹126322.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹333600.00 lakhs) was due to extension of all renewable energy projects by 5 months owing to COVID-19 pandemic, delayed commissioning of projects, non-completion of performance inspection, non-sanctioning of new project owing to non-continuation of Small Hydro Power Scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹37794.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68620.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new project owing to non-continuation of Small Hydro Power Scheme, delayed commissioning of projects, non-completion of performance

के इंस्टालेशन के लिए पीएम-कुसुम संघटक-ख के अंतर्गत इंस्टालेशन का कार्य पूरा न होने, बायोगैस प्लांट की शुरुआत विलंब से होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

inspection, non-submission of completion report/utilization certificates by States, non-completion of installation work under PM-KUSUM Component-B for installation of standalone solar pumps, delay in commissioning of biogas plant and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “सहायक कार्यक्रम – सहायक कार्यक्रम” – ₹4619.48 लाख की बचत (₹8430.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशाला उन्नयन के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का संचालन न होने, कार्यक्रम जैसे प्रदर्शनी/सेमिनार/अन्य राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का कम प्रचार होने, कोविड-19 महामारी की वजह से मुद्रण/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कम प्रचार होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) “Supporting Programs - Supporting Programs” - saving of ₹4619.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8430.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for laboratory upgradation, non-conduction of training programme and other activities, less publicity programme viz. Exhibition/Seminars/Other National level events, less publicity through printing/electronic media owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(क) “ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा” – ₹20716.37 लाख की बचत (₹40600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) “Grid Interactive Renewable Power”- saving of ₹20716.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40600.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for Grid Connected Rooftop Solar Programme owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा” – ₹5362.28 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹5362.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs); and

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(D) “Tribal Area Sub-Plan” -

(क) “ऑफ-ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा” – ₹5199.77 लाख की बचत

(a) “Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power” - saving of ₹5199.77

(₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पीएम-कुसुम संघटक-ख के अंतर्गत स्टैंडअलोन सोलर पम्प के इंस्टालेशन न होने, बायोगैस प्लांट की शुरुआत में विलंब होने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) “ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा” – ₹22651.28 लाख की बचत (₹42300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु जल विद्युत स्कीम के बंद होने की वजह से नई परियोजनाओं की मंजूरी न होने, परियोजनाओं की शुरुआत में विलंब होने और निष्पादन निरीक्षण के पूरा न होने, पीएम-कुसुम संघटक-ख के अंतर्गत स्टैंडअलोन सोलर पम्प के इंस्टालेशन न होने, कोविडि-19 महामारी की वजह से ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉफ सोलर कार्यक्रम के कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5333.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “2810” – “अनुसंधान, डिजाइन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास” के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “स्वायत्त निकाय” – ₹2433.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2282.95 लाख था।

(II) “अनुसंधान और विकास” – ₹2900.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1647.27 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2003.81 लाख) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹11800.00 लाख के

lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-installation of standalone solar pumps under PM-KUSUM Component-B, delay in commissioning of biogas plant, non-submission of utilization certificates by States/UT and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Grid Interactive Renewable Power”- saving of ₹22651.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42300.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects owing to non-continuation of Small Hydro Power Scheme, delayed commissioning of projects and non-completion of performance inspection, non-installation of standalone solar pumps under PM-KUSUM Component-B, receipt of less proposals of Grid Connected Rooftop Solar Programme owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. The above savings were partly (₹5333.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in September, 2020 and February, 2021 under Major Head “2810” - “Research, Design and Development in Renewable Energy” - under the following heads:-

(I) “Autonomous Bodies” - ₹2433.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2282.95 lakhs.

(II) “Research and Development” - ₹2900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1647.27 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2003.81 lakhs) constituted 17 percent of the

पूरक अनुदान का 17 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

supplementary grants of ₹11800.00 lakhs obtained in February, 2021 and 12 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy			
मू.	O.	5200.00		
		17000.00	14996.19	-2003.81
पू.	S.	11800.00		

(I) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग - कार्यालय भवन" - ₹5200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹11800.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹2003.81 लाख की सीमा तक कोविड-19 महामारी की वजह से अटल अक्षय ऊर्जा भवन के निर्माण कार्य में बाधा होने की वजह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings" - the original provision of ₹5200.00 lakhs was augmented to ₹17000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹11800.00 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹2003.81 lakhs - due to hampering of construction activities of Atal Akhshay Urja Bhawan owing to COVID-19 pandemic.